

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी 3-8/2016/1/3

भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2019

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में संशोधन बावत ।

सन्दर्भ:- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/1/3, दिनांक 03 नवम्बर, 2012, 20 नवम्बर, 2012, 13 जनवरी, 2016 एवं जाप क्रमांक सी 3-8/2016/1/3, 12 मई, 2017

सन्दर्भित परिपत्रों द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा परिपत्र दिनांक 12 मई, 2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.	भरती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों (राजपत्रित/अराजपत्रित/कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
1.	खुली प्रतियोगिता से सीधी भरती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21 से 40	18 से 40

C. Bodwintz


2.	अनु.जा.,अनु.जनजा. अन्य पिछड़ावर्ग, शासकीय/ निगम/ मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/ नगर सैनिक/ निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) आदि के लिए	21 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)	18 से 45 (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)
----	---	---	---

नोट:- सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा।

2/ उक्त आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,



(सी.बी.पड़वार)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन सी 3-8/2016/1/3

भोपाल, दिनांक 04 जुलाई, 2019

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।
4. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
5. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
8. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
9. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
13. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।

14. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
 15. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
 16. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
 17. सचिव, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, भोपाल।
 18. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
 19. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
 20. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
 21. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
 22. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
 23. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
 24. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी.बी.पड़वार)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग